# छत्तीसगढ़ विधान सभा

## फरवरी—मार्च, 2021 सत्र

## दैनिक कार्य सूची

### मंगलवार,दिनांक 2 मार्च, 2021 (फाल्गुन 11, 1942)

### समय 11:00 बजे दिन

### 1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

### 2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री मोहम्मद अकबर, आवास एवं पर्यावरण मंत्री, भू—संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (क्रमांक 16 सन् 2016) की धारा 78 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ भू—संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019—20 पटल पर रखेंगे।

(2) श्री मोहम्मद अकबर, आवास एवं पर्यावरण मंत्री, छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम, 2011 (क्रमांक 19 सन् 2012) की धारा 13 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 1—44/2014/32, दिनांक 27 नवम्बर, 2020 पटल पर रखेंगे।

(3) श्री मोहम्मद अकबर, आवास एवं पर्यावरण मंत्री, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 85 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 7—24/2018/32, दिनांक 24 दिसम्बर, 2020 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2020 पटल पर रखेंगे।

(4) श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार —

(i) पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,रायपुर का छप्पनवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019—20,

(ii) अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,बिलासपुर का आठवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019—20,

(iii) संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय, सरगुजा का वार्षिक प्रतिवेदन (1 जुलाई, 2019 से 30 जून, 2020),

(iv) बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019—20 तथा

(v) हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग का पंचम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019—20 (1 जुलाई, 2019 से 30 जून, 2020) पटल पर रखेंगे।

क्रमशः .... 2

## 3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) डॉ. लक्ष्मी ध्रुव, सदस्य, नगरी ब्लॉक के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में मोबाईल कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं होने के कारण ऑनलाईन शिक्षा में असुविधा होने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री सौरभ सिंह, सदस्य, प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में सीजीएमएससी द्वारा अमानक दवा की सप्लाई किये जाने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(3) श्री देवव्रत सिंह, सदस्य, जिला राजनांदगांव के विकासखण्ड छुईखदान अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों में गुणवत्ताहीन रेडी–टू–ईट खाद्य सामग्री का वितरण किये जाने की ओर महिला एवं बाल विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

## 4. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक– 88,दंतेवाड़ा की सदस्य, श्रीमती देवती कर्मा को फरवरी–मार्च,2021 सत्र में दिनांक 24 फरवरी, 2021 से दिनांक 4 मार्च, 2021 तक सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा।

## 5. लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति के लिये नौ–नौ सदस्यों का निर्वाचन

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :–

''सभा के सदस्यगण, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 221 के उप नियम (3), नियम 223 के उप नियम (2), नियम 223–ख के उप नियम (1) तथा 223–ग के उप नियम (2) की अपेक्षानुसार लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति के लिये वित्तीय वर्ष 2021–2022 की अवधि के लिये अपने में से क्रमशः नौ–नौ सदस्यों के निर्वाचन के लिये अग्रसर हों।''

## 6. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिये नौ सदस्यों का निर्वाचन

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, आदिम जाति विकास मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :–

'''सभा के सदस्यगण, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम– 234– ख के उप नियम (1) की अपेक्षानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिये वर्ष 2021–2022 की अवधि के लिये अपने में से नौ सदस्य, जिनमें से क्रमशः तीन–तीन सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के होंगे, निर्वाचन के लिये अग्रसर हों।''

## 7. वित्तीय वर्ष 2021–2022 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर,
दिनांक 1 मार्च,2021